



रतलाम

नगर पालिक निगम



निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम भवन पर ध्वजारोहण किया



15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः 07:30 बजे निगम भवन पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को 75 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभाकामना देते हुए कहा कि नगर पालिक निगम रतलाम प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितकरण, स्ट्रीट लाईट एनर्जी सेविंग, आईटी सेल सहित कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रथम स्थान रखता है यह हमारे लिये गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि हर गरीब का उत्थान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इस हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एकजुट होकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने का कार्य करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि अगले माह सीवरेज का भी कार्य पूर्ण होकर नगर के नागरिकों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिलेगी साथ ही नगर ओर भी अधिक साफ व स्वच्छ होगा।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने की नगर निगम में



जन शिकायत निवारण की शुरुआत

21 अगस्त | कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ नगर निगम सभागृह में जन शिकायत निवारण की शुरुआत शनिवार से की गई। कलेक्टर ने निगम कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे तक मौजूद रहकर आवेदकों की समस्याएं सुनी, निगम की संबंधित शाखा को निराकरण हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक को नागरिकों ने 30 शिकायती आवेदन प्रस्तुत किये जिसमें दारोगा को पद से हटाने के आदेश को रद्द करने, नाले की सफाई नहीं होने, सांची मिल्क पार्लर स्थापित करने हेतु स्थान आवंटन की मांग, मोमिनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाने, अघोशित कचरा स्थल अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने, पानी की टंकी की सफाई आदि समस्याएं लेकर नागरिक आए जिनके समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा संबंधित निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक प्रत्येक शनिवार को नागरिकों की सुनेंगे शिकायत

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम नागरिकों की नगर निगम से संबंधित शिकायतें 21 अगस्त से प्रति शनिवार सांय 04:00 से 05:00 बजे तक निगम सभागृह में सुनेंगे व शिकायतों का निराकरण करवायेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस हेतु निगम के समस्त विभाग प्रमुख, समस्त विभागीय मुख्य लिपिक व कम्प्यूटर आपरेटरों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विभागों से संबंधित समस्त जानकारी के साथ 21 अगस्त से प्रत्येक शनिवार को निर्धारित समय के पूर्व कार्यालय में उपस्थित रहें ताकि प्राप्त शिकायत या समस्या का निराकरण तत्समय किया जा सकें।



जनशिकायत निवारण शिविर में वार्ड नंबर 13 के नागरिकों द्वारा दारोगा को हटाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। नाहरपुरा के पंकज बैरागी द्वारा घर के बाहर बड़े नाले की सफाई नहीं होने की शिकायत की गई। शहर के मोमिनपुरा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की गई। आवेदक आसिफ अंसारी ने अपने आवेदन में बताया कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से शहर के मोमिनपुरा, बरगुंडों का

वास, कुमारो का वास, कसाई मंडी, खटीक मोहल्ला, सुभाष नगर के आसपास कि लगभग 10 कॉलोनियों के गरीब वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से गंदगी एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे कॉलोनी के लोग परेशान रहते हैं। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि मोमिनपुरा डिस्पेंसरी के आसपास कचरा डाला जा रहा है जिससे क्षेत्र के रहवासियों को बीमारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समस्या से निजात दिलाई जाए। शहर के फ्रीगंज निवासी सुशीला उपाध्याय द्वारा आवेदन दिया गया कि राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित एक फ्लैट का द्वितीय मंजिल पर पंजीयन करवाया है लेकिन फ्लैट का आवंटन नहीं हो पाया है। जवाहर नगर निवासी जमील अहमद ने आवेदन दिया कि उसकी मालिकी एवं

जन शिकायत निवारण से हुआ समस्याओं का समाधान

आधिपत्य के प्लॉट पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार आवेदक श्यामसुंदर राठौड़ द्वारा शहर सराय में इंडिया गेट के सामने रेस्टोरेंट में कोयले की भट्टी लगी होने और उससे जहरीला धुआं निकलने की शिकायत की गई। साथ ही रेस्टोरेंट की पानी की टंकी की साफ-सफाई नहीं होने की भी शिकायत की गई। शहर के अशोकनगर में कच्ची रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने और वहां भारी मात्रा में जलजमाव की शिकायत शाहिद हुसैन द्वारा की गई। उनके द्वारा मच्छर समस्या, नाली का निकास नहीं होने, गंदा पानी घरों में आने, गंदगी होने की भी शिकायत की गई। मिटाउन कॉलोनी में नल कनेक्शन को व्यक्तिगत रूप से सभी के घरों में लगाने संबंधी आवेदन भी कॉलोनी की सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया। नागरिकों ने कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम को विकास शाखा 3, लोक निर्माण 5, स्वास्थ्य 5, राशनकार्ड 1, स्थापना 2, जलप्रदाय 2, लोक निर्माण/स्वास्थ्य 7, राजस्व 2, स्वास्थ्य/कर्मशाला 1 तथा संपत्तिकर/विकास शाखा की 2 शिकायतें इस तरह कुल 30 शिकायतें प्रस्तुत कीं। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, श्री बी.एल. चौधरी, मनीष तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा सहित निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें



01 अगस्त | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

यह फोटो वास्तविक नहीं है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण



कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्रीजी की मंशानुरूप कोरोना काल में हर नागरिक की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति हितग्राही माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के प्रति और जागरूक बनाने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण का आयोजन किया गया है। नगर में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों पर उक्त कार्यक्रम होगा। स्थानीय कार्यक्रम प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक होगा, इसके पश्चात राज्य स्तरीय कार्यक्रम 11:00 बजे से प्रारंभ होगा जिसका ऑनलाइन प्रसारण समस्त दुकानों पर टीवी के माध्यम से किया जाएगा। आयोजन के आखिर में स्थानीय स्तर पर थैलों में राशन वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों पर इस योजना से संबंधित गीत बजाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जिले में नियमित राशन के साथ-साथ 4 किलो गेहूं एवं 1 किलो चावल प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

गरीब को बेहतर जीवन और सुलभता से अन्न मिले यही लक्ष्य- प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया

07 अगस्त | हर गरीब को बेहतर जीवन सुविधाएं प्राप्त हों, अच्छा भोजन मिले, सुलभता से अन्न मिले और उनका पूर्ण विकास हो यही लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है। मध्यप्रदेश के **मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान** इस लक्ष्य को लेकर प्रत्येक गरीब को अन्न उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ लेकर खुशहाल हैं।



उक्त विचार जिला प्रभारी मंत्री माननीय श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आयोजित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोह में व्यक्त किए। बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में रतलाम शहर विधायक श्री चौतन्य काश्यप, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया सहित जनप्रतिनिधिगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, निगरानी

समिति सदस्य एवं हितग्राही मौजूद थे। प्रभारी मंत्री माननीय श्री भदौरिया ने इस अवसर पर कहा कि आज पूरे प्रदेश में इस आयोजन के माध्यम से साढ़े 25 हजार से अधिक दुकानों पर गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रतलाम जिले में भी 521 उचित मूल्य दुकानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिले के 2 लाख 28 हजार 338 परिवारों के 9 लाख 51 हजार 824 सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं।



उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप हर नागरिक की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति हितग्राही मई माह से नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी उपस्थित हितग्राहियों से आह्वान किया कि वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के सन्देश का वाचन भी किया।



विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चौतन्य काश्यप ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कर गरीबों को कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण से कई परिवारों को काफी सहायता प्राप्त हुई थी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सहित नगर की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राज्य स्तर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया तथा उद्बोधन दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने उद्बोधन से हितग्राहियों को इस योजना से जोड़ा।

आकर्षक बैग में खाद्यान्न वितरित कार्यक्रम में अतिथियों ने आकर्षक बैग में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। मंच से नयागांव रतलाम क्षेत्र की हितग्राही वर्षा पांचाल, निर्मला, सुरेश यादव, लक्ष्मण कचरुलाल, सुरेश मोतीलाल एवं अन्य हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन श्री आशीष दशोत्तर ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने किया। आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप भी लगा समारोह स्थल पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप भी आयोजित किया गया था। उपस्थित लोगों ने इसका भी लाभ लिया। उल्लेखनीय है कि शहर में उचित मूल्य दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के विशेष कैंप निरंतर लगाए जा रहे हैं और यहां नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। समारोह स्थल पर भी उपस्थित हितग्राहियों ने आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी ली एवं कार्ड भी बनवाए।

भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने पर २ व्यक्तियों पर जुर्माना

१७ अगस्त | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत १७ अगस्त को २ व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने पर आकाश जैन मेहता जी का वास पर ५००० व रमेशचन्द्र परमार लकड़पीठा रोड पर २५०० रुपये का स्पॉट फाईन किया गया।

मुख्यमंत्री ने किया प्रधान मंत्री आवास योजना के हितग्राहीयों से संवाद



28 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा बालाघाट से अपराह्न 1:00 बजे से किये गये संवाद व उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व हितग्राहियों ने विधायक सभाग्रह में एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना। विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधामंत्री आवास योजना के तहत नगर के सभी

आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही रतलाम शहर को झोपड़ी मुक्त बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 7 हितग्राहियों के खाते में द्वितीय किश्त की 1-1 लाख की राशि व 49 हितग्राहियों के खाते में तृतीय किश्त की 50-50 हजार की राशि डाली गई है जिससे वे अपने मकान का कार्य पूर्ण करें व अपना व परिवार का उत्थान कर सकें।


मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 अगस्त शनिवार को अपराह्न 1:00 बजे लाभार्थियों से किये जाने वाले संवाद के सीधे प्रसारण को देखने व सुनने हेतु विधायक सभाग्रह में नगर निगम द्वारा एलईडी वॉल स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी जहां अधिकारी, कर्मचारी तथा हितग्राहियों सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ बैठाया गया।



पी.एम. आवास योजना की :- निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

प्रधानमंत्री आवास योजना

नगर पालिक निगम, रतलाम



१२ अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के संबंध में गत बैठक में दिये निर्देशों के तहत किये गये कार्यों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समीक्षा की। निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि बीएलसी घटक के ऐसे ६८ पात्र हितग्राही जिनका जियो टेगिंग पूर्ण हो चुका है तथा उन्हें प्रथम किश्त

का भुगतान की कार्यवाही आज ही पूर्ण करें। उन्होने निर्देश दिये कि डीपीआर ४ के अतिरिक्त १२०० हितग्राही जिनके समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए है उनके जियो टेगिंग का कार्य तेजी से किया जाये साथ ही ऐसे हितग्राही जो बीएलसी घटक में राशि नहीं लेना नहीं चाह रहे है उनसे आवेदन लिये जाकर पोर्टल पर दर्ज करवायें।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि बीएलसी घटक के तहत ऐसे हितग्राही जो कि मरम्मत कार्य के लिये राशि चाह रहे है उन्हें अपात्र ना करते हुए होल्ड पर रखा जाकर संचालनालय से मार्गदर्शन लिया जाये। एचपी घटक के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु ४४२ हितग्राहियों में से २८० हितग्राहियों ने ही बैंक में खाते खुलवाये है शेष हितग्राहियों से १ सप्ताह की समयावधि में खाते खुलवाये जायें व लोन की कार्यवाही पूर्ण की जाये। उन्होने निर्देशित किया कि लोन प्रकरण बैंको में समान रूप से भेजे जायें। पीएम स्वनिधी व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण के लक्ष्य की पूर्ति नियत समयावधि में पूर्ण करें



मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान के संवाद को देखा व सुना पीएम स्वनिधि के 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये



29 अगस्त। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा अपराह्न 1:00 बजे से किये गये संवाद व उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व हितग्राहियों ने विधायक सभागृह में एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना। इस अवसर पर 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये।

इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि पीएम स्व निधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अभिनव योजनाएँ है योजनाए फेरी लगाकर स्वरोजगार धंधा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई है योजना में शासन द्वारा 90 हजार रुपए का ऋण बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है पूरा ऋण चुकाने के बाद हितग्राही को बगैर ब्याज के दुगनी राशि अर्थात २0 हजार रुपए का ऋण लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होने हितग्राहियों से आग्रह किया कि योजना में प्राप्त ऋण को अपने जीवन की उन्नति का आधार बनाए ऋण वापस करने की प्रवृत्ति रखें इससे आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से सदैव सफल रहेंगे। सांसद माननीय श्री गुमान सिंह जी डामोर ने इस अवसर पर कहा कि शासन द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान किया जा रहा है। इनके व्यवसाय उन्नत हो जीवन स्तर ऊंचा उठे इसलिए योजनाएं संचालित की जा रही है कोरोना काल में योजनाओं ने बहुत बड़ा सहारा स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राहियों को प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के हितग्राहीयों से संवाद



आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम, रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री अरुण कुमार पाठक, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, दीक्षा निजामपुरकर, अनिता ठाकुर, सिटी मैनेजर श्री भगवानसिंह राजपूत, श्री कपील मारोठिया के अलावा सर्वश्री राजेन्द्रसिंह लूनेरा, प्रदीप उपाध्याय, अरुण राव, श्रीमती अनिता कटारिया, मयूर पुरोहित, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, हेमा सिलावट, डॉ० निर्मला राय सहित निगम प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।

स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व 6 दरोगाओं का एक दिन का वेतन काटा



06 अगस्त | सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सैलाना बस स्टैण्ड, पावर हाउस रोड से दो बत्ती तक डिवाईडर, जावरा फाटक अण्डर ब्रीज से महु रोड होटल पलास तक डिवाईडर, महु रोड यादगार होटल से फक्वारा चौक तक का डिवाईडर, महु रोड होटल पलास से कलेक्टर कार्यालय के दोनो तरफ के डिवाईडर, सालाखेड़ी महु रोड के डिवाईडर व वार्ड क्रमांक 27 अन्तर्गत काजीपुरा, सुदामा परिसर क्षेत्र में कचरा व गंदगी के ढेर पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व संबंधित क्षेत्रों के 6 वार्ड दरोगाओं का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है।

कचरा व गंदगी के ढेर पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, वार्ड प्रभारी संतोष भाटी, देवेन्द्र राजावत, राजेन्द्र फतरोड, रवि चनाल, राजेन्द्र गोसर व अब्दुल वहाब का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है।

226 पथ विक्रेताओं के ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत कर वितरित किये पथ विक्रेता ब्याज मुक्त ऋण का उपयोग रोजगार बढ़ाने में करें-श्री झारिया



03 अगस्त। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम के पात्र पथ विक्रेताओं को संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा व बैंक ऑफ बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, जिला अग्रणी बैंक श्री दिलीप सेठिया, स्टेट बैंक क्षेत्रिय प्रबंधक श्री अरुण सिंह, स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक सुश्री दीपिका यादव, बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक श्री सुरेन्द्रसिंह लाथार ने ऋण प्रकरण स्वीकृत कर हितग्राहियों को वितरित किये।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा व बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड पर आयोजित कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पथ विक्रेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आपको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है इस पूंजी को आप अपने रोजगार को बढ़ाने में इस पूंजी का उपयोग कर स्वयं व अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार करें।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्टेट बैंक कलेक्टोरेट शाखा में 7, स्टेट बैंक हाथीखाना में 10, स्टेट बैंक औद्योगिक में 13, स्टेट बैंक कस्तुरबा नगर में 62, स्टेट बैंक मुख्य शाखा में 38, स्टेट बैंक तोपखाना में 34, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड में 26, बैंक ऑफ बड़ौदा ई देना में 99, बैंक ऑफ बड़ौदा ई विजया में 11, बैंक ऑफ बड़ौदा चौदनी चौक में 8 इस तरह कुल 226 प्रकरणों को स्वीकृत कर हितग्राहियों को वितरित किया गया।



इस अवसर पर स्टेट बैंक मुख्य प्रबंधक क्रेडिट श्री जितेन्द्र कानून, स्टेट बैंक कस्तुरबा नगर श्री रवि दीपान, स्टेट बैंक औद्योगिक श्री इन्द्रजीत, स्टेट बैंक तोपखाना श्री पवन, स्टेट बैंक कलेक्टोरेट श्री योगेश मीणा, स्टेट बैंक हाथीखाना श्री विरेन्द्र, ई विजया से श्री श्रीवास्तव, ई देना से श्री सौरभ, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय सहित पात्र पथ विक्रेता उपस्थित थे।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना
**आवेदन पत्र
प्रस्तुत करें**

नगर पालिक निगम, रतलाम

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 10ए000६. ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 20ए000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10ए000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रुपये 10ए000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रुपये 20ए000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु

नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें। ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to
help you

#LargestVaccineDrive

सुरक्षित भविष्य पाओ,
टीका लगवाने के बाद भी कोविड
अनुरूप व्यवहारों को अपनाओ
**सफाई, दवाई और कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई**



सद्भावना दिवस पर उपायुक्त ने निगम में दिलाई प्रतिज्ञा



19 अगस्त | भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार 20 अगस्त को मोहर्रम का अवकाष होने से “सद्भावना दिवस” की प्रतिज्ञा 19 अगस्त गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने नगर निगम सभागृह में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिलाई।



निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली कि “ मैं जाति सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाशा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिये कार्य करने के साथ मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और सवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। इस अवसर पर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

लोकेन्द्र भवन के सामने पुरानी सब्जी मण्डी पर बनेगा भव्य फूड पार्क



इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर भव्य फुड पार्क निर्माण हेतु कलेक्टर एवं प्रषासक श्री पुरुशोत्तम ने निगम आयुक्त श्री झारिया व नगर निगम के इंजीनियरों के साथ लोकेन्द्र भवन के सामने पुरानी सब्जी मण्डी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सब्जी मण्डी में अवैध कब्जेधारी, मूर्तिकार जिन्होंने अनाधित रूप से स्थल पर कब्जा किया हुआ है उन्हे हटाने जाने के निर्देश कलेक्टर एवं प्रषासक श्री पुरुशोत्तम ने दिये साथ ही भव्य फुड पार्क निर्माण हेतु कन्सलटेंट नियुक्त कर ड्राईंग व डिजाईन तैयार करवाये जाने के निर्देश दिये।

हनुमान ताल से गाजर घास कटवाई



18 अगस्त | खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गाजर घास जागरूकता सप्ताह 96 से 22 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा हनुमान ताल से गाजर घास कटवाई गई साथ ही गाजर घास पर खरपतवार नाशक नीरा 71 दवा का छिड़काव करवाया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गाजर घास जहाँ एक और मानव स्वास्थ्य एवं पशुओं में विभिन्न समस्याएँ पैदा करती है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी दूषित करती है एवं उत्पादकता को कम करते हुए जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। गाजर घास जागरूकता अभियानमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जावेगी जिसमें गाजर घास को उखाड़ना, मैक्सिकन बीटल कीड़ों को छोड़ना, षाकनाशियों का छिड़काव करना, उखाड़े गये गाजर घास से कम्पोस्ट खाद बनाना, स्कूली छात्रों द्वारा रैली का आयोजन व जागरूकता संदेश के बैनर लगाये जाना सम्मिलित है। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि गाजर घास जागरूकता सप्ताह में आयोजित गतिविधियों में सम्मिलित होंवे साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने परिसर को गाजर घास से मुक्त रखें।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

12 अगस्त | मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 94 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव

05 अगस्त | विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू व मलेरिया से बचाने के लिये नगर निगम व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 2 फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ कर दिया गया है।



फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव



निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुराना कलेक्टोरेट ऑफिसर्स कालोनी, पांजरा पोल, मोचीपुरा, पीएनटी कालोनी, सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत् जारी रहेगा। नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्डों में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, ड्रम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहां, नाले-नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ऑफिसर्स कालोनी, पीएण्डटी कालोनी, लक्ष्मणपुरा, जवाहर नगर, गांधी नगर, अलकापुरी, सर्किट हाउस सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत् जारी रहेगा।

09 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गत रात्रि को महावीर नगर, लोटस कालोनी, मिल्लत नगर, रहमत नगर, महु रोड बस स्टैण्ड सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत् जारी रहेगा।



11 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गत रात्रि को थावरिया बाजार, धभाईजी का वास, महलवाड़ा से मोचीपुरा रोड, चार चक्की चौराहा, जूनी कलालसेरी, मोचीपुरा चौराहा, शनि मंदिर रोड, कालिका माता, पुराना कलेक्टोरेट, गुलाब चक्कर, नगर निगम सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत् जारी रहेगा।

दो कर्मचारियों को सौंपे नवीन दायित्व श्री नन्दकिशोर भूमक नियुक्त

16 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्य व्यवस्था एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से श्री ऋषि मोहन को वार्ड क्रमांक 9३ का वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा इसके अलावा श्री नरेन्द्र छपरी को सेनेटार्इजर दल प्रमुख का दायित्व सौंपा है जो वर्तमान में फैल रही डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रत्येक वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव का कार्य करेंगे।

21 अगस्त । नागरिकों को डेंगू, मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने हेतु प्रत्येक वार्ड में कीटनाशक दवा छिड़काव हेतु नियुक्त ४९ कर्मचारियों को दवा छिड़काव मशीन उपलब्ध कराने, वार्डों से प्राप्त रिकार्ड संधारण करने व प्रातः ७ व दोपहर ३ बजे कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य विभाग के स्थायीकर्मि श्री नन्दकिशोर भूमक को नियुक्त किया है।

प्रत्येक वार्ड में हैण्ड स्प्रे मशीन से होगा कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रत्येक वार्ड हेतु एक-एक कर्मचारी किये रवाना



19 अगस्त | विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू, मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लिये नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है।



निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नागरिकों को डेंगू, मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लिये निगम द्वारा कीटनाशक दवा छिड़काव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिसके तहत प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया जाकर उन्हें हैण्ड स्प्रे मशीन तथा कीटनाशक दवा उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारी अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे व इसका प्रमाणीकरण नागरिकों से लेकर स्वास्थ्य में उपलब्ध करायेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्ढों में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, ड्रम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहां, नाले-नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

डेंगू लार्वा पाये जाने पर संस्थानों पर जुर्माना

14 अगस्त | विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू व मलेरिया से बचाने के लिये नगर निगम व मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही सघन जांच के तहत 5 संस्थानों पर डेंगू के लार्वा पाये जाने पर जुर्माना किया गया। नगर निगम व मलेरिया के संयुक्त दल द्वारा की गई सघन जांच के तहत डेंगू के लार्वा पाये जाने पर मोहनबाग पर 2000, अपना रेस्टोरेंट, सांवरिया रेस्टोरेंट पर 1000-1000 अक्षय भोजनालय व अलकापुरी सायकल सेंटर पर 500-500 रुपये का स्पहट फाईन किया गया।



नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्डो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, ड्रम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहां, नाले-नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

14 अगस्त

5 डेंगू लार्वा पाये जाने पर संस्थानों पर जुर्माना

17 अगस्त

2 डेंगू लार्वा पाये जाने पर संस्थानों पर जुर्माना

01 अगस्त को 12 स्थानों पर हुआ टीकाकरण



01 अगस्त रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 2 अगस्त सोमवार को 6 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 9 वैक्सीनेशन सेन्टर पर कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ चिन्हित हितग्राहियों हेतु, 9 वैक्सीनेशन सेन्टर पर कौवैक्सिन सिर्फ सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) व 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौवैक्सिन सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगो हेतु प्रथम डोज (टोकन वितरण) नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा।



नगर पालिक निगम, रतलाम

यह फोटो वास्तविक नहीं है

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है प्रथम व द्वितीय डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीका लगवाये। कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु शिवनगर प्राथमिक स्कूल, रेडक्रॉस भवन बिरियाखेड़ी, अशोक नगर जामिया समरूल वारिफ मदरसा, डीआरएम ऑफिस दो बत्ती, काश्यप सभागृह सागोद रोड, ऑनर्स एकेडमी स्कूल दिलीप नगर रोड बजरंग नगर, कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण) कम्युनिटी हॉल अलकापुरी व माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ चिन्हित हितग्राही नया कलेक्टर कार्यालय (सिर्फ विदेश जाने वालों व अधिकारी कर्मचारियों के लिए), कौवैक्सिन सिर्फ सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, कौवैक्सिन सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगो हेतु प्रथम डोज (टोकन वितरण) रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा व लायंस हॉल पावर हाउस रोड पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

03 अगस्त को 5 स्थानों पर हुआ टीकाकरण



नगर पालिक निगम, रतलाम

03 अगस्त। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 4 अगस्त बुधवार को 3 वैक्सीनेशन सेन्टर ओझाखाली रंगरेज जमात खाना, काश्यप सभागृह सागोद रोड, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर कोविशिल्ड का सेकेण्ड डोज न्यू कलेक्टोरेट कार्यालय (सिर्फ विदेश यात्रा करने वालों के लिये) तथा को वैक्सीन का सेकेण्ड डोज आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण) नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है प्रथम व द्वितीय डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीका लगवाये।

मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटियां हटाई जायेगी सागोद रोड जैन स्कूल से होगी शुरुआत



यह फोटो वास्तविक नहीं है

30 अगस्त। शहर के मुख्य मार्गों के आसपास अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने व राजसात करने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा आज 31 अगस्त मंगलवार से प्रारंभ की जायेगी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर बिना परमिशन के गुमटियों को लगाया जाता है जिससे यातायात बाधित होने के साथ ही कचरा एवं गंदगी भी होती है ऐसी गुमटियों को आज 30 अगस्त मंगलवार से हटाया जाकर राजसात किया जायेगा। गुमटी हटाने व राजसात करने की कार्यवाही सागोद रोड से प्रारंभ की जायेगी।

अवैध गुमटी धारी अपनी गुमटियां स्वयं हटा लें अन्यथा गुमटियों को हटाकर राजसात किया जायेगा साथ ही जुर्माना भी वसूला जायेगा।

पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फ्रूट मार्केट क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण

27 अगस्त। पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फ्रूट मार्केट क्षेत्र में मूर्तिकारों आदि के द्वारा किये गये अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 15 से अधिक पक्के अतिक्रमण व 33 दुकानों के आगे से अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया।



निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फ्रूट मार्केट क्षेत्र में इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर फुड पार्क का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्केट 30 वर्ष पूर्व नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित किया गया था किन्तु यहां पर मूल व्यापारियों के स्थान पर कब्जे धारियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था जिसे हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन व पुलिस बल उपस्थित था।

पशु पालक शहरी क्षेत्र में नहीं करें भैंसों का पालन भैंसों के तबेलों को हटाया जायेगा

30 अगस्त | रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसों के तबेलों का सर्वे पूर्ण किया जाकर 29 तबेले चिन्हित किये गये हैं जिन्हें 31 अगस्त मंगलवार से हटाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।



निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलों का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसों का पालन करना निगम एक्ट के विपरित है, ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेलों का निर्माण कर भैंसों का पालन कर रहे हैं वे स्वयं अपने तबेलों को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी। जिसके तहत निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में 29 भैंसों के तबेलों चिन्हित कर लिया गया है जिसे हटाया जाना है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भैंसों के तबेलों को हटाया जाने के अभियान के तहत 31 अगस्त मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने स्वास्थ्य अमले के साथ 7 तबेलों पर जाकर तबेला संचालकों को तबेले स्वयं हटाकर शहर से बाहर ले जाने के निर्देश दिये अन्यथा निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी। 31 अगस्त मंगलवार को शरीफ खां-हसन खां, बशीर खां-हसन खां बंजारा बस्ती, बालकिशन शर्मा सूरजमल जैन नगर, कृष्णकुमार गुर्जर उंकाला रोड, हमीद-माजिद शैरानीपुरा, रूआव-फकीर मोहम्मद, असलम बशीर शैरानीपुरा खेड़ा को तबेले स्वयं हटाने की समझाईश दी अन्यथा तबेलों को 01 सितम्बर को नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा।



कलेक्टर एवं प्रशासक द्वारा एसटीपी प्लांट व वर्कशॉप का निरीक्षण पलसोड़ा वर्कशॉप में और अधिक पौधे लगाने के दिये निर्देश

21 अगस्त | पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में निर्मित एसटीपी प्लांट का निरीक्षण कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।



कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने सर्वप्रथम पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु निर्मित की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु निर्मित किये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया कि वर्कशॉप को हरा-भरा किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधों का रोपण किया

गया है। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया वर्कशॉप परिसर में और अधिक पौधों का रोपण किया जाये ताकि वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाकर कर्मचारी नियुक्त किया जाये। इसके पश्चात कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि एसटीपी प्लांट का टेस्टिंग कार्य प्रारंभ हो चुका है व ट्रीटेड (शोधित) जल के पुनः उपयोग हेतु ओवर हैड टैंक आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम को पीडीएमसी के रेसीडेन्ट इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रोजेक्ट इंजीनियरों द्वारा एसटीपी प्लांट की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि एसटीपी प्लांट का पंहुच मार्ग शीघ्र बनाया जाये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, योजना के ठेकेदार व इंजीनियर उपस्थित थे।



पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप प्रारंभ



23 अगस्त | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम की वर्कशाप को पलसोड़ा में नगर निगम भूमि पर निर्मित की गई नवीन वर्कशाप को 23 अगस्त सोमवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में प्रारंभ किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने पलसोड़ा में निर्मित की गई नवीन वर्कशाप के निरीक्षण के दौरान वर्कशाप

में प्रकाश व्यवस्था करवाई गई साथ ही कर्मचारियों हेतु तैयार किये गये कार्यालय कक्षों में भी प्रकाश व्यवस्था करवाई। इसके अलावा वाहनों को खड़ा करने हेतु भूमि का समतलीकरण करवाया जाकर वर्कशाप को प्रारंभ करवाया निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम की वर्कशाप को पलसोड़ा में निर्मित की गई नवीन वर्कशाप में शिफ्ट किया जाकर 23 अगस्त सोमवार से वर्कशाप को प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत निगम के समस्त कचरा संग्रहण वाहन, डम्पर, ट्रैक्टर आदि वाहनों को नवीन वर्कशाप में पंहुचाया जाकर निर्धारित स्थलों पर खड़ा किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्कशाप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु बाउण्ड्रीवॉल निर्मित किया गया है। साथ वर्कशाप को हरियाली से आच्छदित किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। नगर निगम की वर्कशाप पलसोड़ा में शिफ्ट होने पर स्थायीकर्मि अकबर नौशे खान की झूटी दोपहर २ से रात्री १० बजे तक के लिये लगाई गई थी निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कार्य से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

वॉल्वमैन जितेन्द्र-राधेश्याम सेवा से बर्खास्त

13 अगस्त | नगर निगम जलप्रदाय विभाग के दैनिक वेतन भोगी वॉल्वमैन जितेन्द्र-राधेश्याम के विरुद्ध महिला से ज्यादाती की थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जितेन्द्र-राधेश्याम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया। दैनिक वेतन भोगी वॉल्वमैन जितेन्द्र-राधेश्याम का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 5-1-2013-1-3 भोपाल दिनांक 03.05.2017 के बिन्दु क्रमांक 4.1 (घ) के विपरित होने से सेवा से बर्खास्त किया गया।

नगर की क्षतिग्रस्त सड़कें शीघ्र होंगी दुरुस्त

सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु प्रथम चरण में 22 कार्यों की निविदा तैयार



यह फोटो वास्तविक नहीं है

10 अगस्त | विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप द्वारा निगम आयुक्त व निगम इंजीनियरों के साथ आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा मूलभूत अधोसंरचना की आवश्यकताओंकी उपलब्धता के संबंध में नगर के विभिन्न क्षेत्रों के किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के तहत दिये गये निर्देशों के तहत निगम द्वारा अत्यावश्यक कार्यों के तहत प्रथम चरण में 22 स्थानों पर सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निविदा तैयार की गई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि माननीय

विधायक श्री काश्यप द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किये गये प्राकलनों में से अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रथम चरण में 22 स्थानों पर कार्य कराये जाने हेतु **6 करोड़ 91 लाख 50 लाख** की निविदा तैयार की गई है जिसे शीघ्र जारी किया जायेगा।


पोलोग्राउण्ड पेवेलियन का रुका हुआ कार्य हुआ प्रारंभ

1 माह में कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुशोत्तम ने निगम आयुक्त श्री झारिया के साथ पालोग्राउण्ड में रुके हुए प्रारंभ किये गये पेवेलियन निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को निर्देशित किया कि 1 माह की समयावधि में समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जाये साथ ही निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुशोत्तम द्वारा पालोग्राउण्ड की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की जानकारी लिये जाने पर कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल द्वारा बताया गया कि कार्य के संबंध में निविदा जारी कर दी गई है शीघ्र ही बाउण्ड्रीवॉल निर्माण प्रारंभ करवाया जायेगा। 15 अगस्त तक बाल चिकित्सालय के रिनोवशन का कार्य पूर्ण करें बाल चिकित्सालय में नगर निगम द्वारा कराये जा रहे रिनोवेशन कार्य का कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुशोत्तम ने निर्देशित किया कि रिनोवेशन का कार्य 14 अगस्त तक पूर्ण किया

जाये साथ ही कार्य के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। निरीक्षण के दौरान एमपीईबी के डी.ई. श्री विनय प्रताप सिंह, ट्रॉफिक टीआई श्री बघेल, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री प्याम सोनी, उपयंत्री श्री अनवर कुरेष्ी, ठेकेदार सर्वश्री रूपेष् पिरोदिया, अनुज धनोतिया, राहूल मिततल आदि उपस्थित थे।

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण अतिक्रमण मुक्त कराई गई अर्जून नगर की भूमि का समतलीकरण करने के दिये निर्देश



05 अगस्त | शहर में सीवरेज कार्य के तहत हाउस कनेक्शन का शीघ्र पुरा हो इस उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, पीडीएमसी व ठेकेदार के इंजीनियरों के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये व किये जाने वाले हाउस कनेक्शन कार्य का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने अर्जून नगर में फ्रन्ट लाईन में किये गये हाउस कनेक्शन कार्य का निरीक्षण कर शेष रहे 2-3 हाउस कनेक्शन शीघ्र करने के निर्देश ठेकेदार के इंजीनियरों को दिये।

बैकलेन में हाउस कनेक्शन में आ रही समस्या के निदान हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजीव नगर व इन्द्रलोक नगर का निरीक्षण कर नागरिकों आश्वस्त किया कि आ रही समस्या का शीघ्र निदान किया जायेगा समस्या के निदान हेतु ठेकेदार के इंजीनियरों को निर्देशित किया। विनोबा नगर के 500 हाउस कनेक्शन उपरान्त मुक्तिधाम के समीप नाले में सीवरेज लाईन के छोड़े गये पाईप से आ रहे पानी के बहाव को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा



अवलोकन करने पर पाया कि पानी का बहाव सफलतापूर्वक नाले में आ रहा है। अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना की भूमि जिसे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था निगम आयुक्त श्री झारिया ने भूमि का निरीक्षण करने पर पाया कि कतिपय लोगो द्वारा भूमि पर खेती की गई है इस पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधित को भूमि का समतलीकरण करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की भूमि पर किये गये

अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में की गई थी। उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की योजना का हिस्सा है जिस पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था।

अर्जून नगर में नगर निगम की भूमि का कराया समतलीकरण

31 अगस्त | अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना की भूमि जिसे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था जिस पर कतिपय लोगो द्वारा भूमि पर खेती करना पाये जाने पर आज 31 अगस्त मंगलवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ट्रैक्टर से भूमि का समतलीकरण कराया गया अब भूमि की फेंसिंग का कार्य किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में की गई थी। उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने सफाई कर्मचारियों की मांगो के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों से की चर्चा

27 अगस्त | नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की 22, 6 व 9 सुत्रीय मांगो के संबंध में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर व निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगो के संबंध में पृथक-पृथक पत्र प्रस्तुत कर 22, 6 व सुत्रीय मांगो के संबंध में विस्तृत चर्चा यूनियन के पदाधिकारियों से कर विधि सम्मत परीक्षण कर एक माह में प्रतिवेदन देने व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। चर्चा के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-३ श्री राजेन्द्रसिंह गेहलोत, नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी सर्वश्री कमल भाटी, रामकल्याण, कमल शिन्दे, संजय पैमाल, विजय खरे आदि उपस्थित थे।

नो पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना



31 अगस्त | नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त करजुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 31 अगस्त मंगलवार को नो पार्किंग में खड़े 7 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया। निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 31 अगस्त को चांदनी चौक, घांस बाजार, चौमुखी पुल, शहर सराय आदि क्षेत्रों में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर संदीप-भरतलाल राठौर निवासी नामली पर 500, अरविन्द-कैलाश, दिलीप- भरतलाल दो बत्ती, हर्षित-अशोकसिंह सोलंकी दो बत्ती, जयेश-राजेश भरगट चांदनी चौक, करणसिंह-हीरालाल, शेख शाहबाज हुसैन पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया।

निगम से संबंधित करो की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

Property Tax


16 अगस्त | शासन निर्देशानुसार नो वे ल को रो ना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करो, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुष्ट जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

नगर पालिक निगम, रतलाम

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया
बकाया के रूप में 12 लाख 21 हजार की राशि निगम को प्राप्त हुई



31 अगस्त | शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करें, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुफ्त जमा कराने में उत्साह दिखाते हुए अंतिम दिन 31 अगस्त को संपत्तिकर 8 लाख 75 हजार व जलकर 3 लाख 46 हजार कुल राशि 12 लाख 21 हजार की राशि जमा कराकर अधिभार (पेनल्टी) राशि में छूट का लाभ लिया।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

27 अगस्त | मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

5 सामुदायिक संगठिकाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

29 अगस्त | नगर निगम एनयूएलएम विभाग की सामुदायिक संगठिकाओं 29 अगस्त को प्रातः 09:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दिये जाने के बाद भी प्रातः 09:30 तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिकाओं का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, हेमा सिलावट व डॉ० निर्मला राय का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नगर विधायक श्री कश्यप के निर्देश पर 4 लेन सड़क का कार्य प्रारंभ कलेक्टर द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण

08 अगस्त | विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य की कश्यप के निर्देशानुसार दो बत्ती चौराहे से महाराजा सज्जनसिंह प्रतिमा व लोकेन्द्र भवन होते हुए कानवेंट स्कूल तिराहे तक 4 लेन सड़क के रुके हुए कार्य को प्रारंभ किया गया चल रहे निर्माण कार्य का कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ कर कार्य गुणवत्तापूर्ण व तीव्र गति से किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री पुरुशोत्तम ने सर्वप्रथम दो बत्ती चौराहे पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि दो बत्ती चौराहे पर फ्रीगंज सड़क का पुरा ट्रॉफिक बंद किया जाकर जलाराम स्वीट्स से बनती आ रही सड़क का निर्माण कार्य डीआरएम ऑफिस तक 7 दिवस में पूर्ण किया जाये।



कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुशोत्तम ने निर्देशित किया कि डीआरएम ऑफिस तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात दो बत्ती से डाट की पुल तक 2 लेन सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये। उन्होने निर्देशित किया कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस हेतु कार्य तेजी से व गुणवत्तापूर्ण किया जाये।



महाराजा सज्जन सिंह प्रतिमा स्थल से लोकेन्द्र भवन होते हुए कानवेंट स्कूल तिराहे तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुशोत्तम ने निर्देशित किया कि पोल व ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग हेतु एमपीईबी व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो तय किया गया है उसी अनुसार शिफ्टिंग का कार्य किया जाये।



4 लेन सड़क निर्माण कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण दो बत्ती से डाट की पुल तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य होगा शीघ्र प्रारंभ



24 अगस्त | महाराज सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क निर्माण कार्य व दो बत्ती से डाट की पुल तक बनने वाली 4 लेन सड़क का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के साथ किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान दो बत्ती से डाट की पुल तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ

करने के निर्देश देकर 4 लेन सड़क की लम्बाई व चौड़ाई अनुसार नपती करवाकर चूने की लाईन डलवाकर ठेकेदार को निर्देशित किया कि यह मार्ग व्यस्ततम मार्ग है नागरिकों असुविधा ना हो इस हेतु तीव्र गति से कार्य पूर्ण करें।

महाराज सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण होकर तेजी से किया जाये ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।



पीएम स्वनिधी व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण का हितग्राहियों को मिल रहा है लाभ



10 अगस्त | नगर विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही एनयूएलएम के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार व स्वरोजगार समूह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पीएम स्वनिधी योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5341 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 1840 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 779 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 463 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 175 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 14 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 11 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 9 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 1 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र



13 अगस्त | संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरो को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा। नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरो से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।



नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
1 अगस्त को 54 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

कचरे का प्रतिदिन किया
जा रहा है **वजन**



नगर पालिक निगम, रतलाम

01 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 01 अगस्त रविवार को 54 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया। 01 अगस्त रविवार को डम्पर से 27945, काम्पेक्टर सूखा कचरा

15115, काम्पेक्टर गीला कचरा 9900, मैजिक 1330 किलो इस तरह कुल 54290 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

01 अगस्त	54 टन कचरा वजन किया गया	11 अगस्त	71 टन कचरा वजन किया गया
02 अगस्त	82 टन कचरा वजन किया गया	12 अगस्त	84 टन कचरा वजन किया गया
03 अगस्त	83 टन कचरा वजन किया गया	13 अगस्त	81 टन कचरा वजन किया गया
04 अगस्त	82 टन कचरा वजन किया गया	14 अगस्त	148 टन कचरा वजन किया गया
05 अगस्त	96 टन कचरा वजन किया गया	16 अगस्त	98 टन कचरा वजन किया गया
06 अगस्त	87 टन कचरा वजन किया गया	17 अगस्त	89 टन कचरा वजन किया गया
07 अगस्त	87 टन कचरा वजन किया गया	18 अगस्त	69 टन कचरा वजन किया गया
08 अगस्त	67 टन कचरा वजन किया गया	19 अगस्त	67 टन कचरा वजन किया गया
09 अगस्त	96 टन कचरा वजन किया गया	20 अगस्त	78 टन कचरा वजन किया गया
10 अगस्त	87 टन कचरा वजन किया गया	21 अगस्त	71 टन कचरा वजन किया गया

22 अगस्त	56 टन कचरा वजन किया गया	27 अगस्त	85 टन कचरा वजन किया गया
23 अगस्त	84 टन कचरा वजन किया गया	28 अगस्त	78 टन कचरा वजन किया गया
24 अगस्त	83 टन कचरा वजन किया गया	29 अगस्त	53 टन कचरा वजन किया गया
25 अगस्त	90 टन कचरा वजन किया गया	30 अगस्त	98 टन कचरा वजन किया गया
26 अगस्त	83 टन कचरा वजन किया गया	31 अगस्त	79 टन कचरा वजन किया गया

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

01 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।



निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर,

दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशहप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम अधिकारियों की ली बैठक

बीएलसी घटक के पात्र 68 हितग्राहियों का 2 दिवस में भुगतान करने के दिये निर्देश

08 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के ऐसे 68 पात्र हितग्राही जिनका जियो ट्रेकिंग पूर्ण हो चुका है तथा उन्हें प्रथम किश्त का भुगतान किया जाना है कि फाईले कल तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि परसों तक हितग्राहियों को भुगतान किया जा सकें। उन्होने निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों का जियो ट्रेकिंग ५ दिवस में पूर्ण करें इस हेतु 15 कर्मचारियों की टीम लगाई जाये।



आयोजित बैठक में बताया गया की डीपीआर 4 के अतिरिक्त 1200 हितग्राही जिनके समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए है उनकी सूची तैयार कर ली गई है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि 3 दिवस के अन्दर हितग्राहियों का ऐजिस टीम के हेड श्री सलीम खान, श्री सचिन आनन्द व नगर निगम के इंजीनियर जियो ट्रेकिंग का कार्य पूर्ण करें व सर्वेक्षित हितग्राहियों के दस्तावेजीकरण हेतु दस्तावेज एकत्रित करें। नगर की सड़कों के निर्माण के संशोधित प्राक्कलन की समीक्षा की विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप द्वारा निगम आयुक्त व निगम इंजीनियरों के साथ आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा मूलभूत अधोसंरचना की आवश्यकताओं की उपलब्धता के संबंध में नगर के विभिन्न क्षेत्रों के किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के तहत सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन को माननीय श्री काश्यप द्वारा अवलोकन उपरान्त प्राक्कलन में सुधार हेतु दिये गये निर्देश के तहत इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किये गये प्राक्कलनों की निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा समीक्षा की गई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समीक्षा किये जाने के उपरांत कल तक प्रथम चरण के अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर निविदा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, ब्रजेश कुशवाह, हितेश पंडित, ऐजीस से श्री सचिन, निज सहायक श्री सुभाष गोयल आदि उपस्थित थे।



पीएम स्वनिधी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है उन्हे ऋण दिलाये जाने के कार्य की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दिये गये लक्ष्य की पूर्ति समय-सीमा में पूर्ण करें साथ ही हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर व पता आदि बैंको तक पहुंचाये। इसके अलावा एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना की समीक्षा कर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि समूह ऋण प्रकरण ऐसे तैयार करें कि समूह को अधिक से अधिक आय प्राप्त होकर प्रदेश ही नहीं देश में भी नगर निगम का नाम रोशन हो। उन्होने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि प्रतिदिन के कार्यों की प्रगति से उपायुक्त श्री विकास सोलंकी को अवगत करायें।

उपयंत्री श्री मिश्रा, श्री कुरेशी व एक स्थायीकर्मी का एक दिवस का वेतन काटा

10 अगस्त । शहर की विभिन्न सड़कों को दुरुस्त करवाये जाने के प्राक्कलन तैयार कर अतिशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा व श्री अनवर कुरेशी को निर्देशित किये जाने के बाद भी प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं करने व मोबाईल पर संपर्क करने पर मोबाईल बंद पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कचरे के ढेर व गंदगी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी श्री देवेन्द्र राजावत का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

01 अगस्त | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 01 अगस्त को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।



निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर राठौड़ रेस्टोरेंट कालेज रोड पर 500, गोपाल मौर्य पावर हाउस रोड, बद्रीलाल सैलाना बस स्टैंड व दिनेश हाट रोड पर 250-250 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान द्वारा की गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।



खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर व्यक्तियों पर जुर्माना

01 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना	12 अगस्त	12 व्यक्तियों पर जुर्माना
02 अगस्त	05 व्यक्तियों पर जुर्माना	21 अगस्त	08 व्यक्तियों पर जुर्माना
04 अगस्त	17 व्यक्तियों पर जुर्माना	23 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना
05 अगस्त	14 व्यक्तियों पर जुर्माना	24 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना
07 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना	26 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना
08 अगस्त	05 व्यक्तियों पर जुर्माना	27 अगस्त	04 व्यक्तियों पर जुर्माना
09 अगस्त	08 व्यक्तियों पर जुर्माना	28 अगस्त	05 व्यक्तियों पर जुर्माना
10 अगस्त	05 व्यक्तियों पर जुर्माना	29 अगस्त	13 व्यक्तियों पर जुर्माना
11 अगस्त	09 व्यक्तियों पर जुर्माना	30 अगस्त	44 व्यक्तियों पर जुर्माना

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी

04 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा भ्रमण के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों की दुकानों के बाहर खुले में कचरा व गंदगी पाये जाने व स्पॉट फाईन दल कहीं भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने पर स्पॉट फाईन के 5 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र जारी किया गया। स्पॉट फाईन दल की झूठी शहर में गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु लगायी गयी है किन्तु भ्रमण के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों की दुकानों के बाहर खुले में कचरा व गंदगी पाये जाने पर स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक, पवन झांझोट, मनोज झांझोट, राकेश ललावत व आकाश शिन्दे का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

21 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान स्पॉट फाईन दल द्वारा शहर में कहीं भी स्पॉट फाईन नहीं करते पाये जाने व शहर के मुख्य मार्गों, घरों व दुकानों के सामने कचरा पाये जाने पर दल के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक, राकेश ललावत, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट व नितिन-किशोर का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही



01 अगस्त | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में **नम्बर-1** बनाने हेतु नगर निगम ढ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व

सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गोगा नवमी के पूर्व सफाई संरक्षकों को 54.36 लाख का भुगतान



गोगा नवमी

27 अगस्त। गोगा नवमी पर्व के पूर्व निगम के सफाई संरक्षकों को वेतन अग्रिम पेटे व त्यौहार अग्रिम राशि का भुगतान किये जाने की सफाई कर्मचारी यूनियनों की मांग पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने 54.36 लाख की राशि का भुगतान किया जिससे कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा 151 स्थायी सफाई संरक्षक व 170 विनियमित (स्थायीकर्म) सफाई संरक्षकों को 5000-5000 की राशि वेतन अग्रिम व 1000-1000 त्यौहार अग्रिम तथा 198 गैंग सफाई संरक्षक, 92 मैजिक हैल्पर व 412 बदली सफाई संरक्षकों को 5000-5000 की राशि वेतन अग्रिम के रूप में भुगतान की इस तरह 1023 कर्मचारियों को कुल राशि रुपये 54.36 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

01 अगस्त | अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।



अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो नं 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो० नं० 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो० नं० 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र। बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो नं 9644000433 को नियुक्त किया गया है।

आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है



जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की शिफ्ट में झूटी लगाई। इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का सूचना पत्र जारी



21 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा दो गैंग कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान अनिल- सुखराम वार्ड क्रमांक ३ दरोगा, किशोर-जगराम सफाई संरक्षक झोन क्रमांक २,

राजु-मुरलीधर स्थायीकर्मि झोन क्रमांक 3, महेन्द्र-राजेन्द्र चौहान दवा छिड़काव कर्मचारी, अमर चौहान दरोगा वार्ड क्रमांक 32, धीरज- बसंतिलाल ड्रायवर वार्ड क्रमांक 21 व अनिल-चंदूलाल मैजिक हैल्पर वार्ड क्रमांक 21 द्वारा कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं रहने तथा झोन क्रमांक 2 के गैंग कर्मचारी अवतार-धनराज व राकेश-ओमप्रकाश द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़े गए

31 अगस्त | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा **अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा** क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।



कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 31 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 31 अगस्त को अलकापुरी, राम मंदिर, सैलाना बस स्टैण्ड, वेदव्यास कालोनी क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया





स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों का गौशालाओं में भेजा

02 अगस्त	1181 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	14 अगस्त	1257 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
03 अगस्त	1181 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	19 अगस्त	1261 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
04 अगस्त	1194 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	20 अगस्त	1268 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
05 अगस्त	1200 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	21 अगस्त	1276 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
06 अगस्त	1213 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	23 अगस्त	1284 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
07 अगस्त	1221 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	24 अगस्त	1292 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
09 अगस्त	1230 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	26 अगस्त	1294 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
10 अगस्त	1236 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	27 अगस्त	1295 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
11 अगस्त	1241 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	28 अगस्त	1296 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा
13 अगस्त	1254 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा	31 अगस्त	1250 मवेशियों का गौशालाओं में भेजा

पशु वाहन के 4 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र

23 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर आवारा पशु विचरण करते पाये जाने व पशुवाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा आवारा पशुओं को कहीं भी पकड़ते हुए नहीं पाये जाने पर नियुक्त 4 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया। पशु वाहन के कर्मचारी चरणसिंह-भारतसिंह, मेहफुज-कालेखां, रामा व पूनमचन्द-रतन द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

05 अगस्त | सैलाना रोड क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान डिवाइडर पर मवेशी (सांड) बैठा पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री विनय चौहान व संबंधित क्षेत्र के वार्ड दरोगा का एक दिवस का वेतन काटा गया।

निगम ने किये चार कालोनाईजरो को सूचना पत्र जारी

सूचना पत्र

श्री अनिल कुमार पिता षण कुमार झालानी निवासी 909, देवप्रस्थ अपार्टमेंट, पावर हाउस रोड, रतलाम एवं भागीदार श्री प्रवीण सेलवाडिया पिता मोहनलाल जी सेलवाडिया निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र), मेसर्स सम्यक लेडमार्क प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भागीदार श्री अनिल कुमार पिता

नगर पालिक निगम, रतलाम

05 अगस्त। भूमि पर विकास अनुमति समाप्त होने, समयावधि में विकास कार्य पूर्ण नहीं होने, आश्रय निधि की राशि जमा नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने चार कालोनाईजरो को सूचना पत्र जारी किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेसर्स रचना हाऊसिंग रतलाम द्वारा भागीदार, श्री अनिल कुमार पिता कृष्ण कुमार झालानी निवासी 101, देवप्रस्थ अपार्टमेंट, पावर हाउस रोड, रतलाम एवं भागीदार श्री प्रवीण सेलवाडिया पिता मोहनलाल जी सेलवाडिया निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र), मेसर्स सम्यक लेडमार्क प्राईवेट लिमिटेड द्वारा

भागीदार श्री अनिल कुमार पिता — षण कुमार झालानी निवासी 101, देवप्रस्थ अपार्टमेंट, पावर हाउस रोड, रतलाम एवं भागीदार श्री प्रवीण सेलवाडिया पिता मोहनलाल जी सेलवाडिया निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र), श्री अभय पिता श्री राजमल कोठारी (भूमि स्वामी) निवासी उर्वशी अपार्टमेंट, आबकारी रोड, रतलाम (म.प्र.) व श्री रमेशचन्द्र जैन (भूमि स्वामी) निवासी जैन कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.) को कस्बा रतलाम में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 972/2, 172/8, 173, 174, 175/1, 175/7, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 180/2 पैकी, 180/3, 180/6, 180/10 पैकी, 249/2, 251/1, 251/2, 251/3 एवं 251/4 कुल किता 19 कुल रकबा 15.755 हेक्टेयर भूमि मे से 13.525 हेक्टेयर भूमि पर दी गई कॉलोनी विकास अनुमति पत्र क्रमांक 2761/4/कॉलोनी प्रकोष्ठ/2013 रतलाम, दिनांक 06/12/2013 के संबंध में सूचना पत्र जारी किया।

उक्त भूमि पर कॉलोनी विकास अनुमति प्रदान की गई थी कालोनाईजरो द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत कराये गये अभिन्यास समाप्त हो जाने तथा नगर निगम रतलाम द्वारा दी गई कॉलोनी विकास अनुमति हो जाने तथा नियत समयावधि में विकास कार्य पूर्ण नही किये जाकर विकास कार्यपूर्णता का प्रमाण-पत्र नगर पालिक निगम रतलाम से प्राप्त नही किये जाने तथा विकास कार्य पूर्ण नहीं किये गये एवं आश्रय शुल्क की संपूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई साथ ही वर्तमान में कॉलोनी का विकास कार्य भी बंद होकर अधूरा विकास कार्य हुआ है।

नगर निगम द्वारा कई बार दी गई सूचनाओं के उपरांत भी कालोनाईजरो द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने के कारण बंधक 84 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 22072.23 वर्गमीटर है, विक्रय कर कॉलोनी के शेष विकास कार्य पूर्ण कराये जाने एवं प्राप्त राशि से कार्य पूर्ण नही होने पर अतिरिक्त राशि की वसूली किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

20 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 23 अगस्त सोमवार से अपने कर्तव्य स्थल पर श्रेणीवार ड्रेस कोड में उपस्थित हों अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार ड्रेस कोड निर्धारित किया है किन्तु अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारिया अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 23 अगस्त सोमवार से श्रेणीवार ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान निलंबित श्री आशीष चौहान को वार्ड 14 के साथ वार्ड 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा रतलाम 21 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 21 अगस्त को निगम

सभागृह में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर में वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों द्वारा वार्ड में सफाई नहीं करवाये जाने, जगह-जगह कचरे के ढेर होने की शिकायत प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

वार्ड प्रभारी मांगीलाल सुल्तान का कार्य लापरवाही पूर्ण होने, घर-घर से कचरा संग्रहण नहीं करवाने, वार्ड में सफाई नहीं करवाने तथा जगह-जगह कचरे के ढेर होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया निलंबन काल में इनका मुख्यालय जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड रहेगा। मांगीलाल सुल्तान के स्थान पर श्री आशीष चौहान, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को वार्ड क्रमांक 14 के साथ वार्ड क्रमांक 15 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में नहीं पाये जाने पर 4 का वेतन काटा

23 अगस्त | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किये जाने के बाद भी 4 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान तौशी-मोहम्मद हुसैन ड्रायवर, संदीप-सुरेश हैल्पर, विजय खरे, कमल शिन्दे वार्ड प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर ड्रेस में नहीं पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 24 घण्टे में स्पष्टीकरण चाहा है। शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार ड्रेस कोड निर्धारित किया है, श्रेणीवार ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

उचित मूल्य की दुकानों पर बने आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 7352 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

01 अगस्त कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।



02 अगस्त सोमवार से कमर्शियल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बिरयाखेड़ी, जूनियर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार आनंद कॉलोनी, सीनियर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान अंबिका प्राथमिक उपभोक्ता भंडार थावरिया बाजार, गंगोत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान दुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार जाटों का वास, चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भंडार रामगढ़, जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सुभाष नगर ९८

हाट की चौकी, फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान केशव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, भारतीय प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान महालक्ष्मी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार ईदगाह रोड, माधव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शक्तिनगर तथा श्रद्धा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान पद्मावती प्राथमिक उपभोक्ता भंडार प्रताप नगर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

01 अगस्त	4647 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	16 अगस्त	6960 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
02 अगस्त	5124 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	17 अगस्त	7037 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
03 अगस्त	5686 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	18 अगस्त	7093 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
04 अगस्त	5924 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	20 अगस्त	7131 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
05 अगस्त	6182 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	22 अगस्त	7158 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
06 अगस्त	6261 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	23 अगस्त	7158 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
11 अगस्त	6261 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	24 अगस्त	7158 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
12 अगस्त	6306 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	26 अगस्त	7253 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
13 अगस्त	6558 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	27 अगस्त	7316 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं
14 अगस्त	6809 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं	29 अगस्त	7352 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं



रतलाम

नगर पालिक निगम



आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने वाले सीएससी सेंटर होंगे सील

सीएससी सेन्ट्रों की जांच हेतु जांच दल गठित



नगर विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित हुई। अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक में नगर निगम कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडर, निगम के उपयंत्री, उप स्वच्छता

पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, वार्ड दरोगा की बैठक लेकर पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश दिये। 70 सीएससी सेन्ट्रों के मात्र 6 बीएलई उपस्थित रहने पर एसडीएम श्री गेहलोत ने कहा कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की महत्वकांक्षी होकर किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी योजना है इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया सीएससी सेन्ट्रों की जांच हेतु निगम के उपयंत्रियों के साथ 4 दलों का गठन किया जायेगा जो सेन्ट्रों की जांच करेगा की सीएससी सेन्टर पर शासन निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जांच में किसी भी सेन्ट्रों पर नियमों का उल्लंघन चाहे वह गुमास्ता लायसेंस हो, चाहे अवैध पार्किंग हो आदि का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित सीएससी सेन्टर 7 दिवस के लिये बंद कर लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। गठित 4 दलों तहत सीएससी सेन्टर क्रमांक 1 से 15 तक के लिये श्री संतोष रत्नावत नायब तहसीलदार, श्री मेहरबानसिंह मालवीय राजस्व निरीक्षक, 16 से 30 के लिये सुश्री पुजा भाटी नायब तहसीलदार, श्री ब्रजेश कुशावाह उपयंत्री, 31 से 46 के लिये सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्री मनीष तिवारी व 47 से 62 के लिये सुश्री अनिता ठाकुर व श्री विकास मरकाम उपयंत्री को नियुक्त किया है जो सीएससी सेन्ट्रों की जांच तीन दिवस में कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे यदि किसी सेन्टर पर शासन निर्देशानुसार अनियमितता पाई जाती है तो सीएससी सेन्टर को 7 दिवस के लिए बंद करवाकर सेन्टर का लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 12 अगस्त को 45 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 6306 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। उक्त आयोजित बैठकों में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, महिला एवं बाल विकास के डीपीओ श्री रजनेश सिन्हा, अंकिता पंड्या, जिला सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रश्मि खांबेट, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशावाह, हितेश पंडित, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, ऐजीस से श्री सचिन, एलडीएम श्री राकेश गर्ग, स्टेट बैंक क्षेत्रिय प्रबंधक श्री अरुण सिंह, स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक सुश्री दीपिका यादव, दीपक शर्मा, सुनीत जाट, किशन सोनी, दीपांशु मीना, सिटी मैनेजर श्री भगवान सिंह, श्री कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिकाएँ आदि उपस्थित थे।

रतलाम की सुंदरता में चार चांद लगाती दो मुँह की बावड़ी ,
बदल रहा रतलाम {स्वच्छ रतलाम सुंदर रतलाम}

